

प्रेषक,

Speed Post

औषधि निरीक्षक,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अल्मोड़ा।

सेवा में,

Shri Prashant Reddy T, Advocate
C/O-Lex One Partners, E-19,LGF,
Jungpura Extension, New Dehli-110014

पत्रांक: सू०अ०/2015-16/ 14287-88

दिनांक:- 04.01.2016

विषय- ***Information regarding Sampling of Drugs by drug inspectors***

महोदय,


उपरोक्त विषयक कृपया लोक सूचना अधिकारी/औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून के पत्र संख्या 17प/8/ सू०अ०/216/2015 /29479 दिनांक 14.12.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित तथा आपको एवं अन्य को पृष्ठांकित है, के माध्यम से आपका अनुरोध पत्र अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 28.12.2015 को प्राप्त हुआ है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा अपने अनुरोध पत्र के माध्यम से चाही गयी सूचना निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है।

बि०सं०-1 वांछित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में धारित नहीं है।

बि०सं०-2 सेक्सन-23 के अनुसार औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम-1940 में निहित प्राविधानों के अनुसार ही सैम्पलिंग का कार्य किया जाता है, इस सम्बन्ध में पृथक से किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश की सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।

भवदीय

 04/01/16
औषधि निरीक्षक,

अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अल्मोड़ा।

पत्र संख्या एवं दिनांक तदनुसार-

प्रतिलिपि- लोक सूचना अधिकारी/औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

औषधि निरीक्षक,
अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अल्मोड़ा।

सेवा में,

श्री प्रशान्त रेड्डी टी०एडवोकेट
C/o : लेक्स वन पार्टनरस ई-19 एल जी एफ,
जंगपुरा एक्सटेंशन नई दिल्ली - 110014, भारत।

पत्रांक :- औ०नि०/2015-16/ 6254


दिनांक 02 जनवरी 2016

विषय :- Information Regarding Sasmping Of Drugs By Drug Inspectors.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या 01 में चाही गयी सूचना से सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय में उपस्थित नहीं है। क्योंकि यह सूचना बजट से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या 02 में चाही गयी सूचना में अवगत कराना है कि सेक्सन 23 के अनुसार औषधि एवं सौन्दर्य प्रसार अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत ही सैम्पलिंग का कार्य किया जाता है, अलग से कोई दिशा निर्देशिका नहीं है।

भवदीय


(डॉ० सुधीर कुमार)

औषधि निरीक्षक

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पोडी गढ़वाल।

तददिनांकित।

पृष्ठांकन :- औ०नि०/2015-16

01. औषधि नियंत्रक, उत्तराखण्ड स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
02. लोक सूचना अधिकारी/महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० सुधीर कुमार)

औषधि निरीक्षक

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पोडी गढ़वाल।

प्रेषक,

औषधि निरीक्षक,
कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

सेवामें,

Sh Prashant Reddy T ., Adocate, c/o:
Lex One Partners, E-19 LGF
Jungpura Extension,
New Delhi 110014

पत्रांक—

औ0नि0 / सू0अ0 / 2015 / 8289

दिनांक 22.12.2015

विषय—

Information regarding sampling of drugs by drug inspectors

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप द्वारा मांगी गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है, कि मेरे द्वारा जो नमूने एकत्रित किये जाते उनके एवज में संस्थान मालिक को नियमानुसार धनराशि भुगतान की जाती है, विशेष आग्रह के बावजूद भी संस्थान मालिक द्वारा लेने से इन्कार किया जाता है।

भुवदीय,
22/12/15

औषधि निरीक्षक,
कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक—औ0नि0 / सू0अ0 / 2015

उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि—लोक सूचना अधिकारी/औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, सहरत्रधारा रोड़ उत्तराखण्ड देहरादून।

औषधि निरीक्षक,
कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी
टिहरी गढ़वाल।